संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता
(Meaning and necessity of the constitution)

सरल शब्दों में राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है। जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है। और वह कार्य करती है। यह अलग बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के घोषणापत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु कुछ और सिद्धान्तों को अंगीकार करे। अतः संविधान को उन नियमों का संग्रह कहा जा सकता है, जिसके अनुसार शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु ~~कुछ और~~ संविधान के नियम विस्तृत या संक्षिप्त रूप में लिखित हो सकते हैं। अथवा उनमें से अधिकां सिद्ध कथनों प्रथाओं दृष्टांतों तथा व्यवहारों के रूप में हो सकते हैं।

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
Salient Features of the constitution

हर संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं जि देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही बात भ के संविधान के बारे में कही जा सकती जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोग के लिए बनाया है,

- उपयोजनशीलताएँ (Derivations) संविधान - नि अपने देश की आवश्यकताओं लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों स अवगत थे,

अतः उन्होंने अन्य देशों के संविधानों की व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया जो अप देश के लिए उपयुक्त व उपयोगी हो सक थी।